

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज०)

प्रकरण सं० 21/2023-14 तारीख दायर :-23.08.2023 दिनांक निर्णय :-13.09.2023

पटवारी हल्का सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

कमली देवी पत्नी विश्राम जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान

भू० राजस्व अधिनियम-1956


आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का सकट द्वारा राजस्व ग्राम सकट के आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 0.31 हैक्ट० गै०मु०रास्ता के भाग 0.02 है० व 336 रकबा 0.14 हैक्ट० गै०मु०रास्ता के भाग 0.01 हैक्ट० कुल किता 2 रकबा 0.03 हैक्ट० पर बाढ़ लगाकर अतिक्रमण करने पर अप्रार्थी कमली देवी पत्नी विश्राम जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत् होकर प्राप्त होने के बावजूद नियत सुनवाई तारीख को अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। प्रार्थी की मंशा गै०मु०रास्ता राजकीय सिवायचक की भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:-

अतिक्रमी श्री कमली देवी पत्नी विश्राम जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम सकट के आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 0.31 हैक्ट० गै०मु०रास्ता के भाग 0.02 है० व 336 रकबा 0.14 हैक्ट० गै०मु०रास्ता के भाग 0.01 हैक्ट० कुल किता 2 रकबा 0.03 हैक्ट० राजकीय सिवायचक भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1 की 50 गुणा में मु० 50.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावे। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों राजपुरबड़ा एवं पटवारी हल्का सकट को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 13.09.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष. 2023-24
के पृष्ठ संख्या. 40 पर
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार


नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर